उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या- 32/2016/955/30-3-16-61जीई/2012

लखनऊ : दिनॉक 11 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली, 1990 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी। 2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम-5 का संशोधन	2. उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली, 1990, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम 5 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिए गये विद्यमान खण्ड (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ 1		**स्तम्भ-2**
विद्यमान खण्ड		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(एक) पचास प्रतिशत सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	**(1)सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान)**	((एक) पचास प्रतिशत सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(दो) उन्चास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त यात्री कर/माल कर अधिकारियों और संभागीय निरीक्षकों (प्राविधिक) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।		(दो) चौबीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे यात्री कर/माल कर अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(तीन) एक प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारियों (परिवहन) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के		(तीन) पच्चीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संभागीय निरीक्षकों (प्राविधिक) में से, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

माध्यम से पदोन्नति द्वारा : परन्तु यह कि यदि पदोन्नति के लिये पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो पद सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।		(चार) एक प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अभियोजन अधिकारियों (परिवहन) में से, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। परन्तु यह कि यदि पदोन्नति के लिये पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो पद सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

नियम 20 का प्रतिस्थापन	3. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 20 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ 1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ 2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
परिवीक्षा 20.(1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रतिनियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।	**परिवीक्षा 20.** (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में, परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें वह दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय : परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जाय :	(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में	(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप-नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। (4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चत्तर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।	(4) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

आज्ञा से,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-32/2016/955(1)/तीस-3-2016, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनॉक 11 अप्रैल, 2016 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट, भाग-4 खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियॉं परिवहन अनुभाग-3, कक्ष, तृतीय तल, संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
उप सचिव।

संख्या-32/2016/955(2)/तीस-3-2016, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-220/2/रूल्स/एस-9/2015-16, दिनॉक 03 मार्च, 2016 के क्रम में।
3- कार्मिक अनुभाग-1/2
4- कार्मिक निमयावली सेल।
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no- 32/2016/955 /xxx-3-2016-61GE/2012, dated 11 April, 2016 :

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
TRANSPORT SECTION-3
NOTIFICATION
Miscellaneous
No. 32/2016/955//xxx-3-2016-61GE/2012
Dated Lucknow 11 April, 2016

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Transport Service Rules, 1990:

THE UTTAR PRADESH TRANSPORT SERVICE (FIFTH AMENDMENT) RULES, 2016

<table>
<tr><td>Short title and commencement</td><td colspan="4">1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Transport Service (Fifth Amendment) Rules, 2016
(2) They shall come into force at once.</td></tr>
<tr><td>Amendment of rule 5</td><td colspan="4">2. In the Uttar Pradesh Transport Service Rules, 1990, hereinafter referred to as the said rules, in rule 5 for existing clause (1) set out in column 1 below, the clause as set out in column 2 shall be substituted, namely :-</td></tr>
<tr><td colspan="3">COLUMN 1
Existing clause</td><td colspan="2">COLUMN 2
Clause as hereby substituted</td></tr>
<tr><td></td><td>(1)Assistant Regional Transport Officer (Ordinary Scale)</td><td>(i) Fifty percent by direct Recruitment through the Commission on the basis of the result of the Combined State Services' Examination.

(ii) Forty nine percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Passenger/ Goods Tax Officers and Regional Inspectors (Technical) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment

(iii) One percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Assistant Prosecuting Officers</td><td>(1)Assistant Regional Transport Officer (Ordinary Scale)</td><td>(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission on the basis of the result of the Combined State Services' Examination.

(ii) Twenty four percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Passenger/Goods Tax Officers, who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(iii) Twenty five percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Regional</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(Transport) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment: Provided that if sufficient number of eligible or suitable candidates are not available for promotion, the post may be filled by direct recruitment through the Commission on the basis of the result of the Combined State Services' Examination.			Inspectors (Technical) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment. (iv) One percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Assistant Prosecuting Officers (Transport) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment: Provided that if sufficient number of eligible or suitable candidates are not available for promotion, the post may be filled by direct recruitment through the Commission on the basis of the result of the Combined State Services' Examination.
Substitution of rule 20	**3. In the said rules, for existing rule 20 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-**				
COLUMN 1 Existing rule			**COLUMN 2 Rule as hereby substituted**		
Probation	**20.**	**(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years. (2) The appointing authority may for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted Provided that save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and in no case**	**Probation**	**20.**	**(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013 as amended from time to time. (2) If it appears to the appointing authority at any time during or at**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		beyond two years. **(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and, if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.** **(4) A probation or who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.** **(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the Cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.**			**the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.** **(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.** **(4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.**

By order,

Kumar Arvind Singh Deo,
Principal Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।